अध्याय 3

पशुओं को परिबद्ध करना

धारा 10. अनधिकार भूमि प्रवेश तथा क्षति पहुँचाने वाले पशु को पकड़ना - किसी भूमि का स्वामी या कब्जेदार या कोई व्यक्ति जो भूमि पर हित रखता हो, ऐसे पशु को पकड़ सकता है या पकड़वा सकता है जो ऐसी भूमि पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करे या क्षति पहुंचावे अथवा ऐसी फसल, उपज या सम्पत्ति जो ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व, कब्जे या हित रखने वाले व्यक्ति को आघात पहुँचावे या रूकावट डाले, या कोई अन्य व्यक्ति जो आज्ञा या अनुज्ञप्ति से उपस्थित रहे या उसके प्रभार में रहे, तथा ऐसे पशु, ऐसी भूमि, अन्य फसल उपज या सम्पत्ति पर क्षति पहुँचाए तो ऐसे पशु को 24 घण्टे के अन्दर, जिस ग्राम में वह भूमि स्थित हो, उस ग्राम के लिये स्थापित कांजीहौस में स्वयं भेज दे या किसी के माध्यम से जिभवायें।

सभी पुलिस अधिकारी को आवश्यक पड़ने पर सहायता करनी होगी जब -

(क) ऐसा पकड़ने में मुकाबला हो,

(ख) ऐसी पकड़ करने वाले व्यक्तियों से पशुओं को छुड़ाने के प्रतिरोध में सहायता आवश्यक जो हो।

धारा 11. सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बांधों को नुकसान पहुँचाने वाले पशु - सार्वजनिक सड़कों, आमोद-प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल निकाय संकर्मों, बांधों आदि के भार साधन व्यक्ति (स्थानीय शासन के अधिकारी एवं कर्मचारी) और पुलिस अधिकारी, ऐसी सड़कों, स्थलों, बागानों, नहरों, जल निकाय संकर्मों या बांधों के पार्श्वों या ढलानों के नुकसान पहुँचाने वाले या वहाँ भटकते हुए पाये गये किन्हीं पशुओं को अभिग्रहीत कर सकेंगे या अभिग्रहित करा सकेंगे और उनको चौबीस घण्टों के अन्दर निकटतम कांजीहौस को भेजेंगे या भिजवायेंगे।

धारा 12. परिबद्ध पशुओं के जुर्माने - पुर्वोक्त रूप से परिबद्ध प्रत्येक पशु के लिये कांजीहौस रखवाला ऐसा जुर्माना उद्ग्रहीत करेगा जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा तत्समय के लिये विहित मान से हो। विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न मान विहित किये जा सकेंगे।

ऐसे उद्ग्रहीत सब जुर्माने, ऐसे अधिकारी का मार्फत जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जावेंगे।

पशुओं के जुर्माने, तथा दाना-पानी की नियम दरें की सूची प्रत्येक कांजीहौस पर या उनके निकट किसी संलक्ष्य स्थान पर लगा दी जायेगी।

धारा 12. (अ) बन्द किये पशु के लिए अमानत - किसी भी स्थानीय क्षेत्र में जिस क्षेत्र में राज्य शासन अधिसूचना द्वारा इस धारा को प्रवृत्त करें, प्रत्येक कांजीहौस रक्षक, बन्दी पशुओं को छोड़ने के पहिले, पशु के स्वामी या अभिकर्त्ता को राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऐसे पशु के स्वामी की घोषणा तथा ऐसी राशि अमानत के रूप में जो राज्य शासन नियम द्वारा नियत करे, जमा कराएगा। विभिन्न प्रकार के दर विभिन्न क्षेत्रों के लिये तथा विभिन्न वर्गों के पशुओं के लिये निर्धारित की जा सकेगी।

यदि ऐसे उपरोक्त पशु के स्वामी द्वारा अमानती राशि के जमा करने के 6 माह की भीतर, यदि पशु का पकड़ा जाना अवैधानिक करार न दिया गया हो तो अमानती राशि या उसका भाग, जैसे कि राज्य शासन ने इस सम्बन्ध में नियम बनाये हों, के अधीन शासन में राजसात् हो जायेंगे।

यदि ऐसे स्वामी के पशु उपरोक्त रीति से बन्द नहीं किये गये हों तो अमानती जमा करने वाले या उसकी ओर से जमा करने वाले अन्य व्यक्ति इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र निर्धारित कालावधि में देकर वापस ले सकते हैं।

प्रत्येक अवसर पर नवीन अमानत राशि पशु छोड़ने के लिए जमा करना होगा जब यह विधि लागू है।

धारा 12. (ब) ऐसे पशु जो स्वभावतः भटकने के लिए छोड़ दिये जाते हैं उनके लिये विशेष प्रावधान -

(1) यदि जिले के मजिस्ट्रेट या स्थानीय स्वशासन के प्रति वेदन से राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके क्षेत्र में ऐसे भटके हुए पशुओं के कारण, फसल, उपज या किसी सम्पत्ति को अत्यधिक क्षति हो रही है तो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, इस धारा का प्रावधान ऐसे

क्षेत्र में सामान्यतः या ऐसे पशु के प्रकार या ऐसे वर्ग के पशु के लिये, जैसा विनिर्दिष्ट हो, प्रवृत्त कर सकता है।

(2) सभी पशु रक्षक या स्वामी जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रावधान आवृत्त किये हैं, अपने पशु को, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के एक घण्टे के बाद की अवधि के दौरान पकड़कर घर में रखेगा या बन्द रखेगा।

(3) किन्हीं व्यक्ति के लिये यह वैधानिक होगा कि वह ऐसे भटके हुए पशुओं को ऐसे क्षेत्र में पकड़ सकेगा तथा उसे तुरन्त निकटतम कांजीहौस में भेजेगा। पुलिस के सभी अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ऐसी पकड़ का मुकाबला करने तथा ऐसी पकड़ करने वाले व्यक्तियों से पशुओं को छुड़ाने के प्रतिरोध में सहायता करेगा।

(4) कोई जुर्माना जो इस धारा के अन्तर्गत लगाये गये हों, वे विधान की दूसरी वसूली की रीति को प्रभावित किये बिना पूरे पशु या अन्य पशुओं जिसके सम्बन्ध में अपराध घटित किया गया हो, बेचने के पश्चात् वसूल होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन हेतु -

(1) "बन्द कर रखने" का तात्पर्य पशु को प्रभावशाली ढंग से किसी रूंधान दीवाल या परकोटे के भीतर रखना होगा।

(2) "पकड़कर रखने" का तात्पर्य पशु को प्रभावशाली ढंग से किसी रस्सी या अन्य से कस कर बांधने से होगा।